उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अनुबंध के आधार पर मैक्सी–कैब संचालन योजना

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा राज्य के विभिन्न पर्वतीय मार्गो हेतु निजी मैक्सी–कैब स्वामियों/स्वामियों के समूह से मैक्सी कैब संचालन की योजना है जिसका विवरण निम्नवत् हैं–

1. निगम द्वारा अनुबंध के आधार पर मैक्सी–कैब संचालित किये जाने हेतु विभिन्न पर्वतीय मार्गो का विवरण संलग्नक '1' में दर्शाया गया हैं।

2. **मैक्सी–कैब का प्रकार–**
   किसी भी वाहन उत्पादन कर्ता की Maxi-Cab स्वीकार होगी। जिसे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण करना होगा।

3. **मैक्सी–कैब की आयु–** अनुबंध के समय Maxi-Cab की आयु 1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

4. कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। उत्तराखण्ड के बेरोजगार व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

5. योजना की कोई अन्तिम तिथि नहीं है। ''प्रथम आओ, प्रथम पाओ'' के आधार पर Maxi-Cab का मार्ग आवंटन किया जायेगा।

6. Maxi-Cab हेतु डीजल से अतिरिक्त देय दरों एवं प्रशासनिक शुल्क का विवरण संलग्नक '2' में दर्शाया गया है।
7. आवेदन कर्ता को प्रति Maxi-Cab रू. 10,000/– की प्रतिभूति आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
8. अनुबंध की अवधि 5वर्ष होगी जोकि प्रत्येक वर्ष Maxi-Cab की दशा के अनुरूप Review की जा सकती है।
9. Maxi-Cab आवंटन होने के पश्चात् Maxi-Cab स्वामी को 60 दिन के अन्दर अपनी Maxi-Cab निगम को उपलब्ध करानी होगी जिसके पश्चात् ठोस कारण बताए जाने पर 1 माह तक का अतिरिक्त समय प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिया जा सकता है, अन्यथा 500 रू. प्रतिदिन की दर से विलम्ब पेनाल्टी देय होगी, जो अधिकतम 30दिन हेतु होगी इसके पश्चात् प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
10. Maxi-Cab को डीजल निगम द्वारा Maxi-Cab का डीजल औसत निर्धारित कर उपलब्ध कराया जाएगा।

मार्ग	09सीटर मैक्सी–कैब हेतु डीजल औसत	दर
मैदानी मार्ग का डीजल औसत	12.00कि0मी0/लीटर	रू. 4.50पैसे प्रतिकि0मी0
पर्वतीय मार्ग का डीजल औसत	10.00कि0मी0/लीटर	रू. 5.50पैसे प्रतिकि0मी0

11. Maxi-Cab पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार निगम का होगा।

12. Maxi-Cab स्वामी द्वारा Maxi-Cab निगम की समय सारणी के अनुसार बस स्टेशन पर प्रतिदिन उपलब्ध करानी होगी। समय पर उपलब्ध न कराए जाने पर अनुबंध पत्र के अनुसार पेनाल्टी देय होगी।
13. Maxi-Cab स्वामी द्वारा Maxi-Cab का संचालन एवं मेन्टीनैंस किया जाएगा जिसके लिये अनुबंध संलग्न 4 में अनुबंध करना होगा।
14. Maxi-Cab का संचालन प्रतिदिन 250 कि0मी0 तक मार्ग की दूरी के अनुसार किया जायेगा।

15. मेन्टीनैंस अथवा दुर्घटना आदि की स्थिति में Maxi-Cab का अधिकतम अवकाश अनुबंध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार देय होगा।
16. Maxi-Cab स्वामी द्वारा Maxi-Cab का Comprehensive बीमा कराया जाएगा तथा दुर्घटना आदि होने पर किसी भी क्लेम का पूर्ण उत्तरदायित्व Maxi-Cab स्वामी का होगा।
17. Maxi-Cab पर देय समस्त टैक्स जैसे रोड़ टैक्स, फिटनैस फीस, बीमा आदि की देयता Maxi-Cab स्वामी की होगी।
18. Maxi-Cab संचालन हेतु यात्री कर, परमिट फीस, टोल आदि का भुगतान निगम द्वारा देय होगा।

19. वैट, सेवा कर, अथवा राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई अन्य कर Maxi-Cab स्वामी द्वारा देय होगा। Maxi-Cab स्वामी के बिलो से नियमानुसार आय कर की कटौती की जाएगी।
20. प्रत्येक माह में Maxi-Cab द्वारा संचालित किये गये कि0मी0 के आधार पर Maxi-Cab स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर, भुगतान किया जाएगा।
21. अनुबंध की शर्तो का पालन न किये जाने पर निगम द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
22. किसी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
23. आवेदन निर्धारित प्रारूप संलग्न '5' के अनुसार करना होगा।
24. Maxi-Cab स्वामी को देय देने में एक वर्ष पश्चात् पुनः विचार किया जा सकता है।
25. Maxi-Cab की कलर स्कीम, बाडी एवं सीटें निगम द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार होगी।

संलग्नक–1

क्रमांक	मार्ग का नाम	मैक्सी कैब की रिक्ति संख्या
1	देहरादून–श्रीनगर	15
2	देहरादून–पौडी	10
3	देहरादून–लैंसडाउन	10
4	देहरादून–नई टिहरी	10
5	देहरादून–उत्तरकाशी	10
6	देहरादून–चकराता	10
7	ऋषिकेश–श्रीनगर	05
8	ऋषिकेश–उत्तरकाशी	05
9	चकराता–त्यूनी	10
10	चम्बा–उत्तरकाशी	10
11	चम्बा–मसूरी	10
12	श्रीनगर–गोपेश्वर	10
13	श्रीनगर–टिहरी	10
14	अल्मोडा–रानीखेत	10
15	अल्मोडा–पिथौरागढ	10
16	अल्मोडा–हल्द्वानी	10
17	रानीखेत–द्वाराहाट	10
18	रानीखेत–बागेश्वर	10
19	रानीखेत–हल्द्वानी	10
20	कोटद्वार–श्रीनगर	05
21	कोटद्वार–पौडी	05
22	कोटद्वार–बीरोंखाल	05
योग–		**200**

संलग्नक–2

मार्ग	**09सीटर मैक्सी–कैब हेतु डीजल औसत**	**दर** प्रतिकि0मी0	**प्रशासनिक शुल्क** प्रतिकि0मी0
मैदानी मार्ग का डीजल औसत	12.00कि0मी0 / लीटर	रू. 4.50पैसे	रू. 1.50पैसे
पर्वतीय मार्ग का डीजल औसत	10.00कि0मी0 / लीटर	रू. 5.50पैसे	रू. 1.25पैसे

संलग्नक '5'

उत्तराखण्ड परिवहन निगम में मैक्सी–कैब के अनुबन्धन हेतु आवेदन/निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या.

निविदा मूल्य रू. 100.00
वैट रू 14.00
कुल रू. 114.00

निविदा जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

1– निविदा देने वाले(मैक्सी–कैब मालिक) का पूरा नाम व पता ....

2– निविदादाता की विधिक प्रास्थिति ....

2.1– (हैसियत) तथा व्यक्तिगत/पाटर्नरशिप फर्म/ लिमिटेड कम्पनी आदि फर्म/कम्पनी की ओर से निविदा दी जा रही है तो (पाटर्नषिप डीड अथवा आर्टिकल और मेमोरैण्डम आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति सलग्न करें) स्पष्ट करें। ....
....

2.3– क्या पूर्व से उत्तराखण्ड परिवहन निगम में अपनी बस किराये पर चलायी है। यदि हॉ तो बस नं0 डिपों का नाम, पूर्व में यदि उस पर कोई पेनाल्टी लगी हो तो उसका पूर्ण विवरण ....
....
....

3– अनुबन्धित की जाने वाली मैक्सी–कैब के सम्बन्ध में निम्न सूचना दें:–

3.1 मैक्सी–कैब रजिस्ट्रेशन नं. ....

3.2 मूल रजिस्ट्रशन की तिथि ....

3.3 रजिस्ट्रेशन का स्थान ....

3.4 मैक्सी का विवरण:– ....

अ– माडल

ब– मेक

स– सीटो की संख्या

द– इंजन नं0

य– चेसिस नं0

र– तिथि जब तक रोड टैक्स जमा किया जा चुका है।

ल– फिटनेस वैधता की तिथि

व– इन्शोरेन्स का विवरणः–

1– काम्प्रीहेन्सिव

2– वैधता की तिथि

(उपरोक्त के प्रमाण हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रति/अन्य कागजात की प्रति संलग्न करें)

3.5 रजिस्ट्रेशन अधिकारी से रोड टैक्स, यात्री कर ....
माल कर व अदेयता प्रमाण पत्र ....

3.6 बस की कोई परमिट प्राप्त/अप्राप्त हैः– ....
(पूर्ण विवरण दें, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का ....
प्रमाण पत्र संलग्न करें)

4 अर्नेस्ट मनी(संलग्न) का विवरण बैंक ड्राफ्ट सं0..................................
दिनांक....................बैंक का नाम.. रू0...

5 इनकम टैक्स क्लीयरेन्स का विवरण(चालू वर्ष) ....

6 क्षेत्र एवं मार्ग का विवरण ....

6.1 क्षेत्र जिसमें मैक्सी–कैब लगाना चाहते है,

6.2 वरीयता क्रम में मार्गो का विवरण व दरः–
(अधिकतम तीन वरीयता ही दें) ....

वरीयता क्रम	मार्ग का नाम	दर प्रति कि0मी0
1.		
2.		
3.		

नोटः उपर्युक्त वरीयता क्रम निगम पर बाध्य नहीं होगा। इन मार्गो पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर मार्ग का आवंटन किया जायेगा। उपर्युक्त में जहां वाछित हो पूर्ण सूचना भरें।

मैं/हम शपथपूर्वक यह घोशणा करते है कि ऊपर मेरे/हमारे दिये गये विवरण सही तथा सत्य है।

हस्ताक्षर
मैक्सी–कैब मालिक

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
1–राजविहार चकराता रोड,देहरादून।
फोन नं.0135–2760478, फैक्स नं0 0135–2761866

(ई–टेण्डर सूचना)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न पर्वतीय मार्गो पर मैक्सी–कैब अनुबन्ध आधार पर संचालित करने हेतु निर्धारित प्रारूप में मैक्सी–कैब संचालन के इच्छुक उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार युवकों/मैक्सी–कैब संचालनकर्ताओं से टेण्डर प्रस्ताव आमत्रिंत किये जाते है।

मैक्सी–कैब टेण्डर अभिलेख उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,के उपरोक्त पते से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.30बजे से शाय 4:00 बजे तक प्रतिदिन रू. 100.00 + वैट 14.00प्रतिशत कुल रू.114.00 निगम कोष में जमा कराकर क्रय किये जा सकते है अथवा वेबसाईट www.uktenders.gov.in डाउनलोड कर टेण्डर फार्म फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो ''**प्रबन्ध निदेशक,उत्तराखण्ड परिवहन निगम**'' के पक्ष में देय हो जमा कर,निर्धारित दिनांकः में भरकर प्राप्त कराये जा सकते है।

महाप्रबन्धक(संचालन)